



उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक : 21.03.2018

यू0पी0सी0एल0 के वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु टैरिफ आदेश : मुख्य बिन्दु

- यू0पी0सी0एल0 द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-17 के सहीकरण (truing up), वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिये वार्षिक कार्य निष्पादन समीक्षा (Annual Performance Review) एवं वित्तीय वर्ष 2018-19 की वार्षिक राजस्व आवश्यकता (ARR) एवं टैरिफ निर्धारण हेतु याचिका आयोग के समक्ष दिनांक 29.11.2017 को प्रस्तुत की गयी।
- यू0पी0सी0एल0 द्वारा विद्युत क्रय लागत एवं अन्य खर्चों के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु 15.00% वितरण हानि के आधार पर कुल धनराशि रू0 6922.54 करोड़ वार्षिक राजस्व आवश्यकता (ARR) दर्शायी गयी। इस प्रकार वित्तीय वर्ष 2016-17 के सहीकरण (truing up) को सम्मिलित करते हुए दर्शित धनराशि रू0 820.29 करोड़ के राजस्व अन्तर की वसूली के लिए यू0पी0सी0एल0 द्वारा औसत टैरिफ दरों में लगभग 16.57% की वृद्धि प्रस्तावित की गयी थी। इस प्रकार समस्त (अन्य कम्पनियों यूजेवीएन लि0, पिटकुल तथा एसएलडीसी के टैरिफ वृद्धि प्रस्ताव को सम्मिलित करते हुये) औसत टैरिफ दरों में वृद्धि लगभग 21.15% प्रस्तावित की गयी थी।
- इस टैरिफ आदेश में आयोग द्वारा अभिलेखों के समीक्षोपरान्त निम्न अनुमोदन किये गये:-
 - (1) वित्तीय वर्ष 2016-17 के संप्रेक्षित लेखों के आधार पर अन्तिम सहीकरण (truing up)।
 - (2) वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु वार्षिक राजस्व आवश्यकता (ARR)
 - (3) वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु टैरिफ निर्धारण।
- यू0पी0सी0एल0 द्वारा प्रस्तुत किये गये आंकड़ों के परीक्षणों के आधार पर आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए वार्षिक राजस्व आवश्यकता (ARR) रू0 5997.50 करोड़ निर्धारित किया गया है। उक्त ARR में वित्तीय वर्ष 2016-17 के अन्तिम सहीकरण के फलस्वरूप आंगणित धनराशि के समायोजनोपरान्त अनुमोदन किया गया है। आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिये 11854 एम0यू0 की अनुमानित विक्रय पर वर्तमान टैरिफ (आदेश दिनांक 29.03.2017 के द्वारा अनुमोदित दरों पर) के अनुरूप रू0 5859.95 करोड़ का राजस्व आंकलित की गयी, जिसके फलस्वरूप रू0 137.55 करोड़ का अंतर पाया गया। इस राजस्व रू0 137.55 करोड़ के अन्तर को पूरा किये जाने हेतु वार्षिक टैरिफ में 2.35% की वृद्धि की आवश्यकता थी। आयोग ने दिनांक 03.08.2017 के अपने समीक्षा आदेश में वित्तीय वर्ष 2017-18 के अन्तिम तीन तिमाहियों के दौरान

अतिरिक्त विद्युत दर (Additional Energy Charge-AEC) की वसूली को मंजूरी दी थी और इसलिए वर्तमान में उपभोक्ता अतिरिक्त विद्युत दर (AEC) का भुगतान कर रहे हैं, जो कि 31.03.2018 तक लागू है।

- वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु उपरोक्त अनुमोदित वार्षिक राजस्व आवश्यकता ₹0 5997.50 करोड़ तथा अनुमानित विक्रय 11854 एम0यू0 के आधार पर याचिकाकर्ता की औसत आपूर्ति की दर ₹ 5.04/kWh निर्धारित की गई है, जबकि वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु औसत आपूर्ति की दर आदेश दिनांक 29.03.2017 के द्वारा ₹ 4.92/kWh अनुमोदित की गयी थी, जो कि समीक्षा आदेश दिनांक 03.08.2017 के द्वारा पुनरीक्षित कर ₹ 5.11/kWh की गयी थी।
- आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए वितरण हानि 14.50% की स्वीकृत की गई (यूपीसीएल द्वारा प्रस्तावित वितरण हानि 15.00% के सापेक्ष)। आयोग द्वारा इस प्रकार अनुमानित विक्रय एवं वितरण हानि के अन्तर को समायोजित करते हुए वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिये कुल 14124 एम0यू0 ऊर्जा की आवश्यकता होगी।
- आयोग द्वारा विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं का टैरिफ पुनर्निर्धारण करते समय सभी श्रेणियों में क्रॉस-सब्सिडी को कम रखने का प्रयास किया गया है।
- वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए आयोग द्वारा अनुमोदित वार्षिक राजस्व आवश्यकता (ARR) का विवरण निम्नानुसार है:-

तालिका : 1 वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु वार्षिक राजस्व आवश्यकता हेतु अनुमोदन (₹0 करोड़)

क्र.	विवरण	यूपीसीएल द्वारा प्रस्तावित	आयोग द्वारा अनुमोदित
1.	विद्युत क्रय पर खर्च	5161.55	4932.43
2.	यूजेवीएन लि0 बकाया		-47.09
3.	निःशुल्क विद्युत समायोजन (अतिरिक्त स्वीकृति)		-100.74
4.	पारिषण शुल्क		
	पीजीसीआईएल	412.68	388.08
	पिटकुल		192.46
5.	एस0एल0डी0सी0 चार्ज	342.91	16.84
6.	ऋण पर ब्याज	181.39	138.47
7.	मूल्य ह्रास	144.87	142.42
8.	O&M व्यय	647.68	505.57
9.	कार्यशील पूंजी पर ब्याज	26.06	0.00
10.	लाभांश	93.38	78.24
11.	वार्षिक राजस्व आवश्यकता	7010.52	6246.69
12.	घटाया: गैर टैरिफ आय	155.26	155.26
13.	जोड़: सहीकरण का प्रभाव अन्तर/(अधिशेष)	417.12	64.78
14.	निःशुल्क विद्युत समायोजन - क्रॉस सब्सिडी	-191.14	
15.	गत वर्ष का समायोजन	-158.71	-158.71
16.	शुद्ध राजस्व आवश्यकता	6922.54	5997.50
17.	वर्तमान टैरिफ पर कुल आय	6102.24	5859.95
18.	अन्तर / अधिशेष	820.29	137.55

वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु रिटेल टैरिफ के मुख्य बिन्दु:

- आयोग द्वारा गत वर्ष के टैरिफ आदेश दिनांक 29.03.2017 के सापेक्ष टैरिफ में लगभग 2.35% की वृद्धि की गयी है। जबकि यूपीसीएल द्वारा अपने प्रस्ताव में 16.57% की टैरिफ वृद्धि तथा अन्य विद्युत कम्पनियों के प्रस्ताव (यूजेवीएन लि0, पिटकुल तथा एसएलडीसी के टैरिफ वृद्धि प्रस्ताव को सम्मिलित करते हुये) कुल टैरिफ वृद्धि लगभग 21.15% प्रस्तावित की गयी थी।
- यदि इस आदेश में स्वीकृत टैरिफ दरों की तुलना वर्तमान टैरिफ और अतिरिक्त विद्युत दर (AEC) के साथ की जाती है तो कुछ श्रेणियों के लिए टैरिफ दरें समान है तथा कुछ श्रेणियों के लिए टैरिफ दरों में मामूली कमी की गयी है।
- बीपीएल उपभोक्ताओं के लिए फिक्स्ड चार्ज में कोई बढ़ोतरी नहीं की गयी है। जबकि इन उपभोक्ताओं के लिए विद्युत दरों में केवल रु 11 पैसे/kWh की वृद्धि की गयी है जोकि इन श्रेणी के उपभोक्ताओं द्वारा वर्तमान दर एवं अतिरिक्त विद्युत दर (AEC) के रूप में भुगतान किया जा रहा है। इस प्रकार बीपीएल श्रेणियों के उपभोक्ताओं हेतु टैरिफ में कोई बदलाव/बढ़ोतरी नहीं की गयी है। यद्यपि बीपीएल उपभोक्ताओं के वर्तमान उपभोग स्तर **30 kWh** प्रतिमाह के स्थान पर **60 kWh** प्रतिमाह की वृद्धि की गयी है।
- घरेलू उपभोक्ताओं द्वारा 100 यूनिट उपभोग पर वर्तमान टैरिफ एवं अतिरिक्त विद्युत दर (AEC) को सम्मिलित कर औसत टैरिफ रु0 3.20/kWh का भुगतान किया जा रहा था, जो कि इस अनुमोदित टैरिफ दरों में भी औसत टैरिफ रु0 3.20/kWh रहेगा।
- आयोग द्वारा घरेलू श्रेणी के टैरिफ संरचना को आसान बनाने के उद्देश्य से स्थिर प्रभार हेतु निर्धारित स्लैबों को कम कर वर्तमान 6 स्लैब के स्थान पर 4 स्लैब का अनुमोदन किया गया है, जो कि विद्युत दर के लिए लागू होने वाले समान स्लैब में लागू होंगे। इस प्रकार उपभोग से जुड़े अन्तर निर्धारण प्रभार निम्न स्लैब के अनुसार होंगे:-
 - प्रथम 100 यूनिट/माह तक उपभोग
 - 101 – 200 यूनिट/माह के मध्य उपभोग
 - 201 – 400 यूनिट/माह के मध्य उपभोग
 - 400 यूनिट/माह से अधिक उपभोग
- आयोग ने क्रॉस सब्सिडी को धीरे-धीरे कम करने के उद्देश्य से पीटीडब्ल्यू श्रेणी के लिए विद्युत मूल्य रु0 1.75/kWh से वृद्धि कर रु0 1.84/kWh किया गया है। वर्तमान में इस श्रेणी के उपभोक्ताओं द्वारा अतिरिक्त विद्युत दर (AEC) को सम्मिलित करते हुये विद्युत मूल्य रु0 1.84/kWh का समान भुगतान किया जा रहा है। इस प्रकार इस श्रेणी के लिए टैरिफ में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

- सभी श्रेणियों में न्यूनतम खपत गारंटी (एमसीजी) को समाप्त कर दिया गया है।
- औद्योगिक उपभोक्ता, जो कि वर्तमान में अविरल आपूर्ति उपभोक्ता है, तथा वे इस श्रेणी में जारी रहना चाहते हों तो उन्हें निरन्तर आपूर्ति हेतु पुनः आवेदन नहीं करना होगा। अविरल आपूर्ति सरचार्ज को 15% से घटा कर 10% किया गया है।
- डिमाण्ड साईड मैनेजमेंट की दिशा में प्रगतिशील कदम के रूप में ऑफ पीक ऑवर के दौरान उपभोग पर TOD प्रोत्साहन 10% से बढ़ाकर 15% किया गया है।
- वे उपभोक्ता जो प्रीपेड मीटरिंग के अन्तर्गत विद्युत सप्लाई प्राप्त कर रहे हैं उन्हें विद्युत प्रभार पर घरेलू श्रेणी में 4% तथा अन्य एल0टी0 उपभोक्ता को 3% की छूट पूर्व की भांति यथावत् रहेगी। प्रीपेड मीटरिंग की सम्बन्धित अन्य शर्तें भी टैरिफ आदेश में अनुमोदित की गई है।
- माह में प्रतिदिन 18 घण्टे की न्यूनतम औसत आपूर्ति प्राप्त नहीं किये जाने की दशा में एच0टी0 औद्योगिक उपभोक्ताओं का डिमान्ड चार्ज उस माह में 80% लगाया जायेगा।
- आयोग द्वारा टैरिफ संरचना को सरल बनाये जाने के उद्देश्य से, गवर्नमेंट सिंचाई प्रणाली (GIS) एवं पब्लिक वॉटर वर्क्स (PWW) तथा पब्लिक लैंप श्रेणियों को विलय करते हुये नई श्रेणी "गवर्नमेंट पब्लिक यूटिलिटी" अनुमोदित की गयी है।
- घरेलू श्रेणी के लिए लागू टैरिफ के अनुसार विभागीय उपभोक्ताओं की बिलिंग की जानी है और यदि कम्पनियों द्वारा किसी प्रकार की रियायत दिये जाने पर खर्च को एआरआर में दर्शित किया जाना होगा।
- उपभोक्ताओं की श्रेणियों में टैरिफ की सामान्य वृद्धि उपरान्त औसत बिलिंग दर में वृद्धि निम्नवत् है:

तालिका-2 : वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु औसत बिलिंग दर में वृद्धि

श्रेणी	औसत बिलिंग दर		वृद्धि (Rs. Per unit)
	आदेश दिनांक 29.03.17 के द्वारा वर्तमान टैरिफ	इस टैरिफ आदेश के द्वारा अनुमोदित	
	Rs/kWh	Rs/kWh	
घरेलू	3.81	4.04	0.23
अघरेलू	5.69	5.83	0.14
गवर्नमेंट पब्लिक यूटिलिटी	5.08	5.27	0.20
पीटीडब्ल्यू	1.75	1.84	0.09
एल0टी0 इंडस्ट्रीज	5.45	5.50	0.05
एच0टी0 इंडस्ट्रीज	5.45	5.53	0.08
मिक्स लोड	5.04	5.11	0.07
रेलवे	5.27	5.39	0.12

- अनुमोदित टैरिफ में घरेलू श्रेणी के लिये क्रॉस-सब्सिडी का स्तर -19.85% है, जो कि नेशनल टैरिफ पॉलिसी में प्रदान की गई सीमा +/-20% के भीतर है।
- PTW श्रेणी के लिए वर्तमान में क्रॉस सब्सिडी स्तर -63.55% है। जबकि नेशनल टैरिफ पॉलिसी में क्रॉस-सब्सिडी की सीमा +/-20% निर्धारित है। इस क्रॉस सब्सिडी के स्तर $\pm 20\%$ को प्राप्त करने

के लिये, टैरिफ में लगभग 130% की वृद्धि की आवश्यकता होती, जिससे कि टैरिफ में भारी वृद्धि होती।

- नेशनल टैरिफ पॉलिसी में निर्दिष्ट सब्सिडी श्रेणियों सहित सभी श्रेणियों के लिये आपूर्ति की औसत दर का मानदंड $\pm 20\%$ खपत मिश्रण पर निर्भर करता है। उत्तराखण्ड राज्य में खपत का मिश्रण सब्सिडी श्रेणियों की तुलना में कुल विक्रय का लगभग दो तिहाई है। इसलिये सभी सब्सिडी श्रेणियों के लिये टैरिफ, याचिकाकर्ता की आपूर्ति की कुल औसत दर के 120% के भीतर है, सब्सिडी श्रेणियों में से कुछ के लिये औसत टैरिफ आपूर्ति की कुल औसत दर का 80%से कम है।
- विभिन्न श्रेणियों के उपभोक्ताओं के लिये दिनांक 01.04.2018 से लागू होने वाली टैरिफ फुटकर दरों का ब्यौरा विवरण निम्नवत् है:-

विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं हेतु श्रेणीवार वर्तमान, प्रस्तावित तथा अनुमोदित टैरिफ

आर0टी0एस0-1: घरेलू

तलिका 3: घरेलू उपभोक्ताओं हेतु प्रभार

क्र० सं०	विवरण	वर्तमान टैरिफ		UPCL द्वारा प्रस्तावित टैरिफ		अनुमोदित	
		स्थिर प्रभार (प्रति माह)	विद्युत मूल्य	स्थिर प्रभार (प्रति माह)	विद्युत मूल्य	स्थिर प्रभार (प्रति माह)	विद्युत मूल्य
	आर0टी0एस0-1: घरेलू						
1.1	लाईफ-लाईन उपभोक्ता	Rs. 18/ Connection	Rs. 1.50/kWh	Rs. 20/ Connection	Rs. 1.65/kWh	Rs. 18/ Connection	Rs. 1.61/kWh
1.2	अन्य घरेलू उपभोक्ता						
(i)	0-100 यूनिट्स / माह	Rs. 45/ Connection	Rs. 2.55/kWh	Rs. 55/ Connection	Rs. 3.10/kWh	Rs. 55/ Connection	Rs. 2.65/kWh
(ii)	101-200 यूनिट्स / माह	Rs. 70/ Connection	Rs. 3.30/kWh	Rs. 85/ Connection	Rs. 4.05/kWh	Rs. 80/ Connection	Rs. 3.45/kWh
(iii)	201-300 यूनिट्स / माह	Rs. 110/ Connection	Rs. 4.50/kWh	Rs. 135/ Connection	Rs. 5.50/kWh	Rs. 135/ Connection	Rs. 4.70/kWh
(iv)	301-400 यूनिट्स / माह	Rs. 135/ Connection	Rs. 4.50/kWh	Rs. 165/ Connection	Rs. 5.50/kWh	Rs. 135/ Connection	Rs. 4.70/kWh
(v)	401-500 यूनिट्स / माह	Rs. 180/ Connection	Rs. 5.10/kWh	Rs. 220/ Connection	Rs. 6.25/kWh	Rs. 220/ Connection	Rs. 5.40/kWh
(vi)	500 से ऊपर यूनिट्स / माह	Rs. 210/ Connection	Rs. 5.10/kWh	Rs. 255/ Connection	Rs. 6.25/kWh	Rs. 220/ Connection	Rs. 5.40/kWh
2	एकल बिन्दु थोक आपूर्ति	Rs. 60/kW	Rs. 4.05/kWh	Rs. 75/kW	Rs. 4.95/kWh	Rs. 70/kW	Rs. 4.25/kWh

तालिका 4 : हिमाच्छादित क्षेत्रों हेतु रियायती टैरिफ

क्र0 सं0	विवरण	वर्तमान टैरिफ		UPCL द्वारा प्रस्तावित टैरिफ		अनुमोदित	
		स्थिर प्रभार (प्रति माह)	विद्युत मूल्य	स्थिर प्रभार (प्रति माह)	विद्युत मूल्य	स्थिर प्रभार (प्रति माह)	विद्युत मूल्य
आर0टी0एस0 1ए : हिमाच्छादित							
1	घरेलू	Rs. 18/ Connection	Rs. 1.50/kWh	Rs. 20/ Connection	Rs. 1.65/kWh	Rs. 18/ Connection	Rs. 1.61/kWh
2	1 किलो वाट तक के अघरेलू	Rs. 18/ Connection	Rs. 1.50/kWh	Rs. 20/ Connection	Rs. 1.65/kWh	Rs. 18/ Connection	Rs. 1.61/kWh
3	1 किलो वाट से ऊपर व 4 किलो वाट तक के अघरेलू	Rs. 18/ Connection	Rs. 2.25/kWh	Rs. 20/ Connection	Rs. 2.50/kWh	Rs. 18/ Connection	Rs. 2.36/kWh
4	4 किलो वाट से ऊपर के अघरेलू	Rs. 30/ Connection	Rs. 3.40/kWh	Rs. 35/ Connection	Rs. 3.75/kWh	Rs. 30/ Connection	Rs. 3.51/kWh

तालिका 5 : अघरेलू उपभोक्ताओं के लिए टैरिफ

क्र0 सं0.	विवरण	वर्तमान टैरिफ			UPCL द्वारा प्रस्तावित टैरिफ			अनुमोदित		
		स्थिर प्रभार (प्रति माह)	विद्युत मूल्य	एम0सी0जी0	स्थिर / डिमांड प्रभार (प्रति माह)	विद्युत मूल्य	एम0सी0जी0	स्थिर प्रभार (प्रति माह)	विद्युत मूल्य	एम0सी0जी0
1 सरकारी, शैक्षणिक संस्थानों एवं चिकित्सालयों आदि										
1.1	25 किलो वाट तक	Rs. 55/ kW	Rs. 4.30/ kWh		Rs. 65/ kW	Rs. 5.10/ kWh		Rs. 60/ kW	Rs. 4.35/ kWh	
1.2	25 किलो वाट से ऊपर	Rs. 65/ kVA	Rs. 4.00/ kVAh	50 kVAh /kVA /month & 600 kVAh/ kVA/ annum	Rs. 75/ kVA	Rs. 4.75/ kVAh	50 kVAh /kVA /month & 600 kVAh/ kVA/ annum	Rs. 70/ kVA	Rs. 4.05/ kVAh	Nil
2 अन्य अघरेलू उपभोक्ता										
2.1	4 कि0वाॅ0 तक तथा उपभोग 50 यूनिट्स तक प्रतिमाह	Rs. 60 / kW	Rs. 4.45/ kWh		Rs. 70 / kW	Rs. 5.30/ kWh		Rs. 65 / kW	Rs. 4.55/ kWh	
2.2	अन्य 25 किलोवाॅट तक जो ऊपर 2.1 में शामिल नहीं	Rs. 65 / kW	Rs. 5.25/ kWh		Rs. 75 / kW	Rs. 6.25/ kWh		Rs. 70 / kW	Rs. 5.35/ kWh	
2.3	25 किलोवाॅट से ऊपर	Rs. 65 / kVA	Rs. 5.15/ kVAh	50 kVAh /kVA /month & 600 kVAh/ kVA/ annum	Rs. 75 / kVA	Rs. 6.15/ kVAh	50 kVAh /kVA /month & 600 kVAh/ kVA/ annum	Rs. 70 / kVA	Rs. 5.25/ kVAh	--
3	75 किलोवाॅट से ऊपर सिंगल प्वाइंट थोक आपूर्ति	Rs. 65 / kVA	Rs. 5.05/ kVAh	50 kVAh /kVA /month & 600 kVAh/ kVA/ annum	Rs. 75 / kVA	Rs. 6.00/ kVAh	50 kVAh /kVA /month & 600 kVAh/ kVA/ annum	Rs. 70 / kVA	Rs. 5.15/ kVAh	--
4	स्वतंत्र विज्ञापन होर्डिंग	Rs. 80/ kW	Rs. 5.50/kWh		Rs. 95/ kW	Rs. 6.55/kWh		Rs. 85/ kW	Rs. 5.80/kWh	

आर0टी0एस0-3 : गवर्नमेंट पब्लिक यूटिलिटीज टैरिफ

तलिका 6 : गवर्नमेंट पब्लिक यूटिलिटीज टैरिफ

विवरण	वर्तमान टैरिफ		UPCL द्वारा प्रस्तावित टैरिफ		अनुमोदित	
	स्थिर/डिमांड प्रभार (प्रति माह)	विद्युत मूल्य	स्थिर/डिमांड प्रभार (प्रति माह)	विद्युत मूल्य	स्थिर/डिमांड प्रभार (प्रति माह)	विद्युत मूल्य
पब्लिक लैंप्स						
शहरी	Rs. 55/kVA	Rs. 4.75/kVAh	Rs. 65/kVA	Rs. 5.80/kVAh	Rs. 60/kVA	Rs. 4.85/kVAh
ग्रामीण	Rs. 45/kVA	Rs. 4.75/kVAh	Rs. 55/kVA	Rs. 5.80/kVAh	Rs. 50/kVA	Rs. 4.85/kVAh
गवर्नमेंट सिंचाई प्रणाली (GIS)	Rs. 55/kVA	Rs. 4.60/kVAh	Rs. 65/kVA	Rs. 5.65/kVAh	Rs. 60/kVA	Rs. 4.85/kVAh
पब्लिक वॉटर वर्क्स (PWW)						
शहरी	Rs. 55/kVA	Rs. 4.70/kVAh	Rs. 65/kVA	Rs. 5.75/kVAh	Rs. 60/kVA	Rs. 4.85/kVAh
ग्रामीण	Rs. 45/kVA	Rs. 4.70/kVAh	Rs. 55/kVA	Rs. 5.75/kVAh	Rs. 50/kVA	Rs. 4.85/kVAh

आर0टी0एस0-4 : निजी नलकूप/पंपिंग सेट्स हेतु टैरिफ

तलिका 7 : निजी नलकूप/पंपिंग सेट्स हेतु टैरिफ

वर्ग	वर्तमान टैरिफ			UPCL द्वारा प्रस्तावित टैरिफ			अनुमोदित		
	स्थिर/डिमांड प्रभार (प्रति माह)	विद्युत मूल्य	न्यूनतम शुल्क	स्थिर/डिमांड प्रभार (प्रति माह)	विद्युत मूल्य	न्यूनतम शुल्क	स्थिर/डिमांड प्रभार (प्रति माह)	विद्युत मूल्य	न्यूनतम शुल्क
आर0टी0एस0-4 : निजी नलकूप/पंपिंग सेट्स									
मीटर्ड	Nil	Rs. 1.75/kWh	Nil	Nil	Rs. 2.15/kWh	Nil	Nil	Rs. 1.84/kWh	Nil
आर0टी0एस0-4A: कृषि सहयोगी सेवायें									
मीटर्ड	Nil	Rs. 1.75/kWh	Nil	Nil	Rs. 2.15/kWh	Nil	Nil	Rs. 1.84/kWh	Nil

आर0टी0एस0-5 : इंडस्ट्रीज हेतु टैरिफ

तलिका 8 : एल0टी0 इंडस्ट्रीज हेतु टैरिफ

वर्ग	वर्तमान टैरिफ			UPCL द्वारा प्रस्तावित टैरिफ			अनुमोदित		
	स्थिर (प्रति माह)	विद्युत मूल्य	एम0सी0जी0	स्थिर (प्रति माह)	विद्युत प्रभार	एम0सी0जी0	स्थिर (प्रति माह)	विद्युत मूल्य	एम0सी0जी0
आर0टी0एस0-5: इंडस्ट्रीज									
एल0टी0 इंडस्ट्रीज									
1. एल0टी0 इंडस्ट्रीज (25 किलोवॉट तक)	Rs. 140/kW	Rs. 4.20/kWh	*50 kWh/kW/month & 600 kWh/kW/annum	Rs. 180/kW	Rs. 5.15/kWh	*50 kWh/kW/month & 600 kWh/kW/annum	Rs. 145/kW	Rs. 4.25/kWh	--
2. एल0टी0 इंडस्ट्रीज (25 किलोवॉट से ऊपर और 75 किलोवॉट तक)	Rs. 140/kVA	Rs. 3.85/kVAh	50 kVAh/kVA/month & 600 kVAh/kVA/annum	Rs. 180/kVA	Rs. 4.70/kVAh	50 kVAh/kVA/month & 600 kVAh/kVA/annum	Rs. 145/kVA	Rs. 3.90/kVAh	---

*30 kWh/kW/month and 360 kWh/kW/ वार्षिक आटा चक्की हेतु।

तलिका 9 : एच0टी0 इंडस्ट्रीज हेतु वर्तमान एवं प्रस्तावित टैरिफ

क्र0 सं0	वर्ग	लोड फैक्टर	वर्तमान टैरिफ			प्रस्तावित टैरिफ		
			विद्युत मूल्य (Rs./kVAh)	स्थिर/डिमांड प्रभार (Rs./kVA)	एम0सी0जी0 Charges	विद्युत मूल्य (Rs./kVAh)	स्थिर/डिमांड प्रभार (Rs./kVA)	एम0सी0जी0 प्रभार
1	88kVA/75 kW (100 BHP) से अधिक अनुबन्धित लोड वाली एच0टी0 इंडस्ट्रीज							
1.1	1000 kVA तक अनुबन्धित लोड	Upto 40%	3.65	Rs. 285/kVA of the billable demand	100 kVAh/kVA /month & 1200 kVAh /kVA/annum	4.32	Rs. 335/kVA of the billable demand	100 kVAh/kVA/month & 1200 kVAh /kVA/annum
		Above 40%	4.00			4.72		
1.2	1000 kVA से अधिक अनुबन्धित लोड	Upto 40%	3.65	Rs. 345/kVA of the billable demand	100 kVAh/kVA /month & 1200 kVAh /kVA/annum	4.32	Rs. 390/kVA of the billable demand	100 kVAh/kVA/month & 1200 kVAh /kVA/annum
		Above 40%	4.00			4.72		

तलिका 10: अनुमोदित टैरिफ एच0टी0 इंडस्ट्रीज हेतु

क्र0 सं0	वर्ग	लोड फैक्टर	विद्युत मूल्य	स्थिर प्रभार	एमसीजी
			Rs./kVAh	Rs./kVA/ माह	kVAh/kVA of contracted load
1	88kVA/75 kW (100 BHP) से अधिक अनुबन्धित लोड वाली एच0टी0 इंडस्ट्रीज				
1.1	1000 kVA तक अनुबन्धित लोड	Upto 40%	3.85	Rs. 295/kVA of the billable demand	Nil
		Above 40%	4.20		
1.2	1000 kVA से अधिक अनुबन्धित लोड	Upto 40%	3.85	Rs. 355/kVA of the billable demand	Nil
		Above 40%	4.20		

आर0टी0एस0-6 : मिश्रित भार हेतु टैरिफ

विवरण	वर्तमान टैरिफ		UPCL द्वारा प्रस्तावित टैरिफ		टैरिफ डिजाइन	
	स्थिर/डिमांड प्रभार (प्रति माह)	विद्युत मूल्य	स्थिर/डिमांड प्रभार (प्रति माह)	विद्युत मूल्य	स्थिर/डिमांड प्रभार (प्रति माह)	विद्युत मूल्य
आर0टी0एस0-6 : मिश्रित भार						
डीमंड लाईसेंस के रूप में एम0ई0एस0 सहित 75 किलोवॉट से ऊपर मिश्रित भार सिंगल प्वाइंट थोक आपूर्ति	Rs. 70/kW	Rs. 4.75/kWh	Rs. 85/kW	Rs. 5.80/kWh	Rs. 75/kW	Rs. 4.80/kWh

आर0टी0एस0-7 : रेलवे ट्रैक्शन हेतु टैरिफ

विवरण	वर्तमान टैरिफ		UPCL द्वारा प्रस्तावित टैरिफ		टैरिफ डिजाइन	
	स्थिर/डिमांड प्रभार (प्रति माह)	विद्युत मूल्य	स्थिर/डिमांड प्रभार (प्रति माह)	विद्युत मूल्य	स्थिर/डिमांड प्रभार (प्रति माह)	विद्युत मूल्य
आर0टी0एस0-7: रेलवे ट्रैक्शन	Rs. 240/kVA	Rs. 4.25/kVAh	Rs. 295/kVA	Rs. 5.20/kVAh	Rs. 245/kVA	Rs. 4.35/kVAh
